

घर बैठे 5 मिनट में फ्री में बनाएं PAN Card, ये रहा पूरा प्रोसेस!

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> वित्तीय कार्यों के लिए क्यों बेहद जरूरी है पैन कार्ड?...
- >> 1. बैंकिंग और नविश में महत्व...
- >> 2. सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए अनिवार्य...
- >> ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने के लिए कनि-कनि दस्तावेजों (Documents) की होगी आवश्यकता?...
- >> 1. पहचान का प्रमाण (Identity Proof)...
- >> 2. पते का प्रमाण (Address Proof)...
- >> 3. जन्मतिथि का प्रमाण (Date of Birth Proof)...
- >> ई-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका...
- >> स्टेप 1 आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं...
- >> स्टेप 2 इंस्टेंट ई-पैन वकिल्प का चयन करें...
- >> स्टेप 3 अपना आधार नंबर दर्ज करें...
- >> आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी (OTP) के जरिए प्रक्रिया को ऐसे करें पूरा...
- >> स्टेप 4 टर्म्स को स्वीकार करना...
- >> स्टेप 5 वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करें...
- >> स्टेप 6 आधार डिटिल्स को एक्सेप्ट करें...
- >> आवेदन सबमिट करने के बाद कैसे प्राप्त करें अपना डिजिटल पैन कार्ड?...
- >> स्टेप 7 एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करना...
- >> डाउनलोड करने का तरीका और स्टेटस चेक...
- >> घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने में कतिनी लगती है फीस?...
- >> डिजिटल बनाम फजिकल कार्ड शुल्क...
- >> नष्टिर्ष बना कसिी भाग-दौड़ के मनिटों में डाउनलोड करें अपना ई-पैन...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

आज के डिजिटल युग में सरकारी और वित्तीय दस्तावेजों का महत्व काफी बढ़ गया है। Aadhaar Card की तरह ही PAN Card (Permanent Account Number) भी एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। इसके बिना बैंक खाता खुलवाने से लेकर बड़े वित्तीय लेनदेन करना लगभग असंभव है।

आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी किए जाने वाले इस कार्ड की जरूरत कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी पड़ती है। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है, तो आपको कसिी दफ्तर के चक्कर काटने की बल्किुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से इसे मनिटों में तैयार कर सकते हैं।

इस लेख में हम आपको Instant e-PAN कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और फीस से जुड़ी पूरी जानकारी वसितार से देंगे। सरकारी

योजनाओं की बात करें तो हाल ही में एकबड़ी खबर! PM किसान की कसित अब घर पर मलिंगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं! आई है, जसि आप पढ़ सकते हैं।

वर्ततीय कार्यों के लिए क्यों बेहद जरूरी है पैन कार्ड?

पैन कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके सभी बड़े वर्ततीय लेनदेन का मुख्य आधार है। भारत सरकार के नयिमों के अनुसार, आयकर रटिर्न (ITR) दाखलि करने के लिए पैन नंबर होना अनविर्य है। यद आपके पास यह नहीं है, तो आपके वर्ततीय काम रुक सकते हैं।

1. बैंकिंग और नविश में महत्व

कसि भी सरकारी या नजी बैंक में नया खाता खुलवाने, फकिस्ड डिपोजिट (FD) करने या शेयर बाजार में नविश करने के लिए पैन अनविर्य है। इसके बनि 50,000 रुपये से अधकि का नकद लेनदेन या जमा स्वीकार नहीं कया जाता है।

2. सरकारी योजनाओं और सब्सडि के लिए अनविर्य

वभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सब्सडि का लाभ सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए डीबीटी (DBT) प्रक्रिया में पैन कार्ड लकि होना आवश्यक होता है। जैसे वभिन्न राज्यों में पीएम आवास योजना: अब आपके घर का डिजाइन होगा स्टेड-कस्टम! के तहत लाभ मलिता है, वैसे ही हर जगह वर्ततीय पारदर्शता के लिए पैन अनविर्य है।

ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने के लिए कनि-कनि दस्तावेजों (Documents)

इंटरनेट के माध्यम से जब आप apply online करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। डिजिटल इंडिया के तहत अब पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो चुकी है। हालांकि, आपके पास कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जानकारी होनी चाहिए।

1. पहचान का प्रमाण (Identity Proof)

आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी 12 अंकों का आधार कार्ड होना सबसे जरूरी है। इसके अलावा आप वटर आईडी कार्ड या ड्राइवगि लाइसेंस का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. पते का प्रमाण (Address Proof)

नविस स्थान को सत्यापित करने के लिए बजिली का बलि, पानी का बलि, या टेलीफोन बलि लगाया जा सकता है। ऑनलाइन ई-पैन की स्थिति में यह डेटा सीधे आपके आधार डेटाबेस से ले लिया जाता है।

3. जन्मतथिका प्रमाण (Date of Birth Proof)

आपकी सही जन्मतथिका प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या हाईस्कूल की मार्कशीट का उपयोग किया जा सकता है। आधार कार्ड पर अंकित जन्मतथिका भी इसके लिए वैध माना जाता है।

ध्यान रहे कि हमेशा अधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करें, क्योंकि हाल ही में फर्जीवाड़े की खबरें भी आई हैं, जैसेबरेली: जन सेवा केंद्र में बन रहे थे फर्जी आधार-पैन, 3 गरिफ्तार।की घटना सामने आई थी। इसलिए सतर्क रहें।

ई-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) बनाने का

आयकर विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए latest update के तहत एक बेहद सरल प्रणाली शुरू की है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें:

स्टेप 1: अधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में आयकर विभाग की अधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट (e-Filing Portal) को ओपन करें।

स्टेप 2: इंस्टेंट ई-पैन विकल्प का चयन करें

वेबसाइट के होमपेज पर बाई ओर आपको Quick Links का एक सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में दिए गए Instant e-PAN के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको Get New e-PAN पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना 12 अंकों का वैध आधार नंबर नरिधारित

बॉक्स में भरें। इसके बाद नीचे दिए गए नियमों व शर्तों को ध्यान से पढ़कर कंफर्म करें और Continue पर क्लिक कर दें।

आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी (OTP) के जरूरि प्रक्रिया को ऐसे करें

पैन कार्ड बनाने की यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित है क्योंकि यह सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़ी होती है। इसलिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लकि होना आवश्यक है।

स्टेप 4: टर्म्स को स्वीकार करना

आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको यूआईडीएआई (UIDAI) से डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी। इसके लिए दिए गए चेकबॉक्स को टिक करें और ओटीपी वेरिफिकेशन पेज के लिए आगे बढ़ें।

स्टेप 5: वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करें

अब आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी (OTP) आएगा। इस ओटीपी को स्क्रीन पर देख रहे बॉक्स में सही-सही दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।

स्टेप 6: आधार डिटिल्स को एक्सेप्ट करें

सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होने के बाद, स्क्रीन पर आपकी पूरी प्रोफाइल (जैसे आपका नाम, जन्मतथि, फोटो और पता) दिखाई देगी। इन जानकारियों की जांच कर लें और Accept पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

आवेदन सबमिट करने के बाद कैसे प्राप्त करें अपना डिजिटल पैन का

एक बार जब आप सभी ववरिणों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका आवेदन अंतिम चरण में पहुंच जाता है। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है।

स्टेप 7: एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करना

अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) दिखाई देगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक बन चुका है। इस नंबर को भविष्य के लिए नोट करके रख लें।

डाउनलोड करने का तरीका और स्टेटस चेक

कुछ मिनटों के बाद आप इसी पोर्टल पर वापस आकर status check कर सकते हैं। इसके लिए आपको Check Status Download PAN पर क्लिक करना होगा। आधार नंबर और ओटीपी डालने के बाद आप अपना पैन कार्ड PDF फॉर्मेट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड बनाने में कतिनी लगती है फीस?

यदि आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से Instant e-PAN के लिए आवेदन करते हैं, तो यह सेवा पूरी तरह से नि:शुल्क (Free of Cost) है। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता।

डिजिटल बनाम फजिकल कार्ड शुल्क

ई-पैन एक वैध डिजिटल दस्तावेज है। लेकिन, यदि आप भविष्य में अपने घर के पते पर प्लास्टिक वाला फजिकल पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो आपको एनएसडीएल (NSDL) या यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) की वेबसाइट पर जाकर लगभग 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा। वर्ष 2026 में भी यह डिजिटल प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त और प्रभावी बनी हुई है।

नधिर्क्ष: बिना किसी भाग-दौड़ के मिनटों में डाउनलोड करें अपना

तकनीक के इस दौर में अब सरकारी दस्तावेज बनवाना बेहद आसान हो गया है। ई-फाइलिंग पोर्टल की मदद से आप बिना किसी एजेंट को पैसे दफि या जन सेवा केंद्र के चक्कर काटे महज 10 मिनट में अपना नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल पैन कार्ड हर जगह पूरी तरह से मान्य है। आज ही इस आसान प्रक्रिया को अपनाएं और अपने वित्तीय कार्यों को गति दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नहीं, आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) बनाना पूरी तरह से मुफ्त है।

यह प्रक्रिया बेहद तेज है। आवेदन जमा करने के मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर आपका डिजिटल पैन कार्ड जनरेट हो जाता है।

हां, आयकर विभाग के नियमानुसार डिजिटल ई-पैन कार्ड हर तरह के सरकारी और गैर-सरकारी वित्तीय कार्यों के लिए पूरी तरह से वैध है।

क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से आधार वेरिफिकेशन पर आधारित है, और सुरक्षा के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाता है।

हां, आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर Check Status विकल्प में जाकर पैन कार्ड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

आप ई-फाइलिंग पोर्टल के Instant e-PAN सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी सत्यापित करने के बाद आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं।

नहीं, इस प्रक्रिया में आपके आधार कार्ड में मौजूद फोटो और विवरणों को ही स्वतः पैन कार्ड के लिए ले लिया जाता है।

ई-पैन बनने के बाद आप एनएसडीएल (NSDL) या यूटीआई (UTI) की वेबसाइट पर जाकर Reprint PAN Card का विकल्प चुनकर 50 का भुगतान करके इसे घर मंगवा सकते हैं।

नहीं, इंस्टेंट ई-पैन की यह ऑनलाइन सुविधा केवल उन वयस्कों के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास वैध आधार है।

नहीं, भारत में दो पैन कार्ड रखना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। ऐसा पाए जाने पर आयकर अधिनियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है।